—: प्रश्नोत्तरी :—

प्रश्न—जनहित गारण्टी अधिनियम—2011 के अन्तर्गत विभाग द्वारा मनोरंजन से सम्बन्धित कौन—कौन सी सेवाऐं प्रदान की जा रही है ?

उत्तर—जनहित गारण्टी अधिनियम—2011 के अन्तर्गत विभाग द्वारा मनोरंजन से सम्बन्धित निम्नलिखित चार सेवाऐं प्रदान की जा रही हैं—

1. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस।
2. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेंस का नवीनीकरण।
3. चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट।
4. विभिन्न मनोरंजन के लिये अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर तथा उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन)

   वर्तमान में विभाग द्वारा उपरोक्त सेवाओं को आनलाईन भी कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विभागीय एप्लिकेशन http://entertainmenttax.azurewebsites.net/ पर आनलाईन आवेदन कर सकता है।

प्रश्न—किन—किन मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं के संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के संचालन हेतु लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

प्रश्न—किन—किन मनोरंजन से सम्बन्धित सेवाओं के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर अन्य मनोरंजक कार्यक्रम जैसे मनोरंजन पार्क/वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर आदि के संचालन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न—यदि कोई व्यक्ति प्रदेश में एकल सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स बनाना चाहता है। तो इसके लिए कहॉ आवेदन करना होगा तथा क्या—क्या जरूरी कागजात और औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है ?

उत्तर—एकल सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स निर्माण के इच्छुक व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण (यथा विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, विनियमित क्षेत्र अथवा अन्य कोई प्राधिकरण) को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें योजना और विनिर्दिष्टयों सहित वह स्थल विनिर्दिष्ट होगा जहॉ पर प्रस्तावित भवन निर्मित किया जाना है।

उल्लिखित योजना में भवनों की ऊंचाइयां और खण्ड, प्रस्ताावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता अथवा वाहन पार्किंग की व्यवस्था और 200 मीटर के अर्द्ध व्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर की स्थिति और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, सम्मिलित होंगे।

यदि सक्षम प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि स्थल योजनाएं और विनिर्देश पूर्णतः नियमावली (सिनेमा भवन निर्माण के सुसंगत उपबन्ध), उत्तर प्रदेश चत्रचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 और उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 तथा लागू भवन उपविधियों के अनुरूप है तो वह आवेदन को स्थल योजना और तत्सम्बन्धी निविर्देशों के अनुसार उसका अनुमोदन संज्ञापित करते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 60 दिन के भीतर प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है।

प्रश्न–नवनिर्मित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स का लाइसेंस कौन स्वीकृत करता है तथा लाइसेंस हेतु किन–किन औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता है तथा यह आवदेन के कितने दिन के अन्दर स्वीकृत होगा ?

उत्तर–नवनिर्मित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस स्वीकृत हेतु लाइसेंस प्राधिकारी सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट होंगे। आवेदक को लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 की परिशिष्ट–तीन में उल्लिखित प्रपत्र में, परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियों सहित निम्नलिखित अभिलेखों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा–

(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण पत्र।

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की उचाईयॉ तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित हैं।

(ग) सक्षम प्रतिधकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग–अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।

(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित पूर्णता प्रमाण पत्र/ अधिभोग प्रमाण–पत्र।

(ड.) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप हैं।

(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम–13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण;

(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाए और अग्नि के विरूद्ध अपनायी गयी सावधानियॉ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।

(ज) आवश्यक संदाय लाइसेंस शुल्क

सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात 30 दिन के भीतर लाइसेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न–विभिन्न आमोदों के लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु क्या शुल्क निर्धारित हैं ?
उत्तर–विभिन्न आमोदों के लाइसेंस/लाइसेंस नवीनीकरण हेतु शुल्क निम्नलिखित हैं–

- चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन के माध्यम से प्रदर्शन के लिए लाइसेंस फीस–
  (एक) किसी स्थायी सिनेमा के लिए निम्नलिखित जनसंख्या वाले किसी स्थानीय क्षेत्र में स्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए
  (क) एक लाख तक के लिए–प्रति माह या उसके ऑशिक भाग के लिए 3000.00 (तीन हजार) रूपये,
  (ख) एक लाख से अधिक के लिए–प्रतिमाह या उसके ऑशिक भाग के लिए 5000.00 (पॉच हजार) रूपये,
- सचल सिनेमा के लिए कोई अस्थायी लाइसेंस प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए निम्नलिखित अवधि हेतु उसके सम्मुख अंकित लाइसेंस फीस होगी–
  (क) अनधिक एक माह– 500.00 रूपये,
  (ख) एक माह से अधिक किन्तु तीन माह से अनधिक– 1500.00 रूपये
  (ग) तीन माह से अधिक किन्तु अनधिक छः माह– 3000.00 रूपये
- वीडियो चलचित्र, होटल, सार्वजनिक सेवायान अथवा चल वीडियो चलचित्र के लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिए शुल्क निम्नलिखित होगा–

क्र0 सं0	मनोरंजन	शुल्क
(एक)	वीडियो चलचित्र जिसमें किसी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के मामले में वीडियो द्वारा प्रदर्शन सम्मिलित है।	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 5000 रूपये ।
(दो)	होटल	प्रति वीडियो कैसेट प्लेयर प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2500 रूपये।
(तीन)	सार्वजनिक सेवा यान	प्रति वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए 2500 रूपये।
(चार)	किसी स्थानीय क्षेत्र में चल वीडियो चलचित्र।	
	(क) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभिक एक वर्ष की अवधि तक लाइसेंस प्रदान किये जाने या उसके नवीकरण के लिए।	प्रतिमास या उसके आंशिक भाग के लिय 200 रूपये।
	(ख) उस स्थानीय क्षेत्र में वीडियो चलचित्र प्रारंभ होने के एक वर्ष की समाप्ति की निरन्तरता में लाइसेंस प्रदान करने या उसके नवीकरण के लिए।	प्रतिमाह या उसके आंशिक भाग के लिये 200 रूपये।

- वीडियो लाइब्रेरी हेतु एक वितीय वर्ष अथवा उसके भाग के लिए स्थानीय क्षेत्र निम्नलिखित लाइसेंस शुल्क होगा–

स्तम्भ–1 (स्थानीय क्षेत्र)	स्तम्भ–2 (वीडियों लाइब्रेरी हेतु लाइसेंस शुल्क)
(क) नगर निगम, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा	पॉच हजार रूपये
(ख) नगर पालिका परिषद	तीन हजार रूपये
(ग) टाऊन एरिया / अन्य स्थान	एक हजार पॉच सौ रूपये

प्रश्न–सिनेमा निर्माण हेतु आवेदन करने पर विभाग द्वारा कितने समय के अन्तराल में सिनेमा निर्माण करने की अनुमति दी जाती है।

उत्तर–सिनेमा का साइट प्लान नियमानुसार पाये जाने पर एवं अन्य औपचारिक्ताए पूर्ण करने पर सिनेमा निर्माण हेतु आवेदन करने के 60 दिन के अन्दर सिनेमा निर्माण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी जाती है।

प्रश्न–सिनेमा भवन तैयार होने के बाद लाईसेंस लेने के लिए कोई समय सीमा तय है?

उत्तर–सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्ण संतुष्टि के बाद कि सिनेमा स्वामी द्वारा नियमो के अन्तर्गत सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं तो लाइसेंस उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमवाली,1951 के नियम 9 के अंतर्गत जारी किया जाता है, जो एक बार में अधिकतम पॉच वर्षो के लिये जारी किया जा सकता है। उ0प्र0 जनहित गारटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सिनेमा लाईसेंस हेतु सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा सिनेमा लाईसेंस प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

प्रश्न–क्या एकल सिनेमा/मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु कोई अनुदान दिये जाते हैं ?

उत्तर–शासनादेश संख्या–564/11–6–2017–एम(34)/17 दिनांक 28 जुलाई, 2017 द्वारा जारी समेकित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुदान के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान हैं–

1. बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघरो को पूर्ण रूप से तोड़कर व्यावसायिक काम्पलेक्स सहित अधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाघरों के निर्माण हेतु राज्य मॉल एवं सेवा कर का प्रथम तीन वर्ष 100 प्रतिशत एवं शेष 02 वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
2. पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन कर (रिमॉडल) पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों को राज्य माल और सेवा कर का प्रथम 03 वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
3. व्यावसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण की योजना दिनांक 30.12.2016 को यथावत रखते हुये समेकित प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं नगर निगम क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्र में प्रथम तीन वर्ष में 100 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

4. ऐसे जनपद जहॉ पूर्व से एक भी मल्टीप्लेक्स संचालित नहीं है, ऐसे जनपदों में प्रथम संचालित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम 06 वर्ष तक 100 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
5. सिनेमाघरों के उच्चीकरण की योजना को यथावत रखते हुये समेकित प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर उर्जा पर आधारित संयंत्र लगाये जाने हेतु छविगृह में निवेश की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा।

प्रश्न–प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृह को खोलने के उद्देश्य से कोई प्रोत्साहन योजना विद्यमान है ?

उत्तर–शासनादेश संख्या–714/11–6–15–एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 के मध्याम से प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृह को खोलने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत उक्त शासनादेश की शर्तो को पूर्ण करने पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं नगर निगम क्षेत्रों में प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं अन्य क्षेत्रों में प्रथम तीन वर्ष में 100 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।

प्रश्न–यदि कोई अपने एकल सिनेमा में दर्शकों को सुविधा देने हेतु उसका उच्चीकरण कराता है, तो क्या इस हेतु उसे प्रदेश सरकार द्वारा कोई सुविधा दी जाती है।

उत्तर–सिनेमाघरों के उच्चीकरण की योजना को यथावत रखते हुये समेकित प्रोत्साहन योजना दिनांक 28 जुलाई, 2017 में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसमें एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर उर्जा पर आधारित संयंत्र लगाये जाने हेतु छविगृह में निवेश की गयी धनराशि की 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान राज्य माल और सेवा कर में से अनुमन्य होगा।

प्रश्न–बन्द सिनेमा को पुनः संचालित करने हेतु क्या कोई योजना जारी की गयी है?

उत्तर–बन्द सिनेमा को पुनः संचालित करने हेतु शासनादेश संख्या–564/11–6–2017–एम(34)/17 दिनांक 28 जुलाई, 2017) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं–

1. बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघरो को पूर्ण रूप से तोड़कर व्यवसायिक काम्पलेक्स सहित अधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाघरों के निर्माण हेतु राज्य मॉल एवं सेवा कर का प्रथम तीन वर्ष 100 प्रतिशत एवं शेष 02 वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।
2. पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों के भवन की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन कर (रिमॉडल) पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों को राज्य माल और सेवा कर का प्रथम 03 वर्ष में 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा।